न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3097 /विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-101/2021 में दिनांक-17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-09/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-03 पृ0 एवं अन्य कागजात-83 पृ0 कुल-86 पृ0) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- पिंकी कुमारी, पति-मोहन कुमार / आशा कुमारी, पति-अमित कुमार, सभी सा0+पो0-साहुगढ़-2, टोला-भगवानपुर, थाना व जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

for प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४ फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
17/10/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-101/2021** **पिंकी कुमारी.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद पिंकी कुमारी, पति-मोहन कुमार, ग्राम+पो0-साहुगढ़-2, टोला-भगवानपुर, थाना वो जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-09/2021 में दिनांक 26.07.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु दायर किया गया है। अपीलार्थी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल वादपत्र एवं बहस में भाग लेते हुए उनका मूल रूप से कहना है कि टोला-भगवानपुर, ग्राम-पंचायत-साहुगढ़-02, वार्ड नं0-10, स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-105 के सहायिका चयन हेतु दिनांक 09.12.2020 को आयोजित आमसभा में वादी का चयन मार्गदर्शिका के नियमों के अनुसार किया गया। विपक्षी सं0-02 आशा कुमारी, पति-अमित कुमार के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के समक्ष उक्त चयन के विरुद्ध आँगनबाड़ी अपीलवाद संख्या-09/2021 दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के दौरान वादी के द्वारा रखे गये तथ्यों को नजरअंदाज कर आदेश पारित करते हुए ज्ञापांक 31 दिनांक 26.07.2021 से आदेश की प्रति वादी को उपलब्ध कराया गया। उक्त आदेश के द्वारा वादी के चयन को रद्द कर दिया गया तथा विपक्षी सं0-02 आशा कुमारी, पति-अमित कुमार का चयन करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया। वादी का कहना है कि ऑनलाईन आवेदन में	

विपक्षी सं0-02 के द्वारा अपना इन्टरमीडिएट का अंक-पत्र संलग्न किया गया था। उनका का कहना है कि मार्गदर्शिका, 2019 के कंडिका-3 में स्पष्ट किया गया है कि आमसभा में यदि कोई दावा/आपत्ति दर्ज की जाती है तो आमसभा में ही उसका निराकरण किया जायेगा। आमसभा पंजी से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0-02 के द्वारा आमसभा में किसी प्रकार का दावा/आपत्ति चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी सं0-02 के द्वारा दाखिल वर्ग-आठ के प्रमाण-पत्र वर्ष 2006-07 के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना वादी के द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें आशा कुमारी, पिता-मुनेश्वर यादव के प्रवेश पंजी, माह-जुलाई, अगस्त की उपस्थिति पंजी, प्रगति पत्रक का मांग किया गया। उक्त सूचना स्मिता ठाकुर, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सखुआ, अंचल-पिपरा, सुपौल के द्वारा पत्रांक 07 दिनांक 27.08.2021 से दिया गया, जिसमें विपक्षी की जन्म तिथि 02.01.1994 तथा विद्यालय परित्याग की तिथि 31.03.2008 दर्शाया गया है। पुनः विपक्षी आशा कुमारी के जन्म तिथि, प्रवेश क्रमांक सं0-33 के सत्यापित प्रति की मांग सूचना आवेदन से किये जाने पर उनके पत्रांक 08 दिनांक 06.09.2021 से आशा कुमारी के विद्यालय परित्याग की तिथि-31.03.2009 तथा जन्म तिथि 02.01.1996 दर्शाया गया है। पुनः सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर वार्षिक प्रगति पत्रक पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर का नमूना दिया गया, जिससे साबित होता है कि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पर प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर फर्जी है। इसके साथ ही सूचना आवेदन के आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय सखुआ, पिपड़ा के पत्रांक-10 दिनांक 08.09.2021 द्वारा सूचित किया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन फर्जी है। वादी का कहना है कि इस तरह विपक्षी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के यहाँ अष्टम वर्ग का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर आशा कुमारी के द्वारा वाद दायर किया गया। उक्त के आलोक में वादी के द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय वादपत्र में रखे गये तथ्यों को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय में विपक्षी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चयन के समय अष्ठम का प्रमाण-पत्र सहित सभी कागजात रखा गया,

किन्तु उसका संज्ञान नहीं लिया गया। अष्टम के प्रमाण–पत्र में उन्हें कुल 564 अंक प्राप्त हुआ जो 86.76% है। चयन के समय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी गई, किन्तु इसका संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा सर्वोच्च मेधा अंक के आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा उनके चयन किये जाने से संबंधित आदेश को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि ऑनलाईन आवेदन के समय आशा कुमारी के द्वारा इन्टरमीडिएट का प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए आवेदन किया गया, इस कारण उन्हें अष्टम वर्ग का प्रमाण–पत्र समर्पित करने का अवसर देते हुए उच्चतर मेधा अंक के आधार पर आशा कुमारी, पति–अमित कुमार का चयन किये जाने हेतु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अतः निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

18/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

18/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।